

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
संशोधित कार्य विभाजन आदेश माह सितंबर 2022

सिस्टम
क्र. 1157

क्रमांक 61/सां0लि0-36/2005

हरदा, दिनांक 05/09/2022

न्यायिक जिला स्थापना हरदा पर पूर्व में कार्यरत रहे समस्त अपर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय, समस्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं तथा उनके कोई उत्तराधिकारी पदस्थ नहीं हैं, उनके निर्णयों से उद्भूत समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियों एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों के क्रियान्वयन हेतु सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2), 194, 381 (2) और धारा 408 के अंतर्गत कार्य विभाजन आदेश माह सितंबर 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

सं.क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा	समस्त पूर्व अपर जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय (वर्तमान में रिक्त)	पूर्व के निर्णयों से उद्भूत समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, वरिष्ठ खंड, हरदा	समस्त पूर्व प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय (वर्तमान में रिक्त)	पूर्व के निर्णयों से उद्भूत समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन
3	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कनिष्ठ खंड, हरदा	समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के न्यायालय (वर्तमान में रिक्त)	पूर्व के निर्णयों से उद्भूत समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का क्रियान्वयन

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

हरदा, दिनांक 05/09/2022

पृष्ठांकन क्रमांक 1157 (8) /सां0लि0/36
प्रतिलिपि :-

1. द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, वरिष्ठ खंड, हरदा
3. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कनिष्ठ खंड, हरदा
4. सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

9. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य-विभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा